

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 179 OF 2025

IN THE MATTER OF:

SHYAMLATA

.....APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS

.... RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, TRAFFIC, COMMISSIONERATE VARANASI, UTTAR PRADESH, ON BEHALF OF R-5, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 02.09.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF LETTER DATED 22.09.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1.	
3.	A COPY OF LETTER DATED 06.01.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2.	
4.	A COPY OF LETTER DATED 03.11.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3.	

5.	A COPY OF LETTER DATED 15.11.2025 IS ANNEXED HERewith AND MARKED AS ANNEXURE-4.	
6.	COPIES OF THE FIR DATED 07.01.2025 AND CHARGESHEET DATED 30.03.2025 ARE ANNEXED HERewith AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-5.	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
[EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:Bpsjadon@gmail.com)
PHONE NO.-6375115224

Date: 20.11.2025

Place: NOIDA

207

Sr.No..... Year 20...
2725

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 179 OF 2025



IN THE MATTER OF:

SHYAMLATA

.....APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS

.... RESPONDENT(S)

REPLY ON BEHALF OF ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE,
TRAFFIC, COMMISSIONERATE VARANASI, UTTAR PRADESH, ON
BEHALF OF R-5, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 02.09.2025
PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, **Sombir Singh Sirohi**, aged about 59 years, S/o **Shri Man Singh**, posted as Assistant Commissioner of Police, Traffic, Commissionerate Varanasi, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.



7/9/25

2. That I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
3. That, the deponent has been authorized to file the present affidavit on behalf of R-5 vide letter no. CA/CP-58/2025 dated 22.09.2025.

A copy of letter dated 22.09.2025 is annexed herewith and marked as *Annexure-1*.

BACKGROUND OF THE MATTER

4. In the present Original Application, the applicant has raised grievance that her son had died on account of slitting of his throat by Chinese Manjha on 31.12.2024. Applicant has further alleged that the State authorities failed to effectively enforce the complete ban on the manufacture, sale, and use of Chinese/Nylon Manjha imposed by the Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 384/2016, *Khalid Ashraf & Anr. vs. Union of India & Ors.*, vide order dated 11.07.2017.
5. That, the Hon'ble Tribunal vide order dated 20.03.2025 issued the following directions:

"...5. Issue notice to the respondents. Ms. Sthavi Asthana, Advocate accepts notice on behalf of Respondent No. 7 - UPPCB. Learned counsel for the applicant is directed to supply a copy of the OA along with complete set of



annexures to learned counsel for Respondent No. 7 within one week. Respondent No. 7 is directed to file a reply by way of affidavit within four weeks. Applicant is directed to serve the other respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

6. List on 26.11.2025..."

REPLY IS AS FOLLOWS

6. That the Commissioner of Police, Varanasi, vide letter No. CA/CP-69/2025 dated 06.01.2025, convened a departmental meeting and issued directions to the concerned police officials to take strict action and prevent the sale, storage, and use of the prohibited Chinese Manjha.

A copy of letter dated 06.01.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-2**.

7. That, for compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, deponent vide letter no. Reader/ACP(T)-106/2025 dated 03.11.2025, directed the Station In-charge/S.H.O. of all the 30 police stations under Commissionerate Varanasi to provide details of action taken against the persons selling, manufacturing, storing and transporting Chinese manjha.

A copy of letter dated 03.11.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure-3**.

8. That, vide letter dated 15.11.2025, it has been informed that out of 30 Police Stations, 24 FIRs have been registered since January 2025. Out of these 24




FIRs, one FIR at P.S. Chetganj has been registered under sections 105/109/285-BNS, and Sections 5/15-EPA; and remaining 23 FIRs have been registered under Sections 125/223/239-BNS and Sections 5/15-EPA. Pursuant thereto, **16,235 kg** of prohibited manjha has been recovered and **31 accused persons** have been arrested.

A copy of letter dated 15.11.2025 is annexed herewith and marked as *Annexure-4*.

9. That, FIR No. 0002/2025 dated 07.01.2025 was registered at P.S. Chetganj, regarding the neck injury sustained by the complainant, Mr. Sujit Kumar due to illegal Chinese manjha. In this case, 11 witnesses were examined, including relatives of the deceased involved in the present Original Application (Late Mr. Viveek Sharma). Action was taken against three accused persons involved in selling and storing of Chinese manjha named Azam, Jitendra Kushwaha and Kundan Kushwaha under Sections **105, 109(1), and 285** of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, and Sections **5 and 15** of the Environment Protection Act, 1986. The three accused were arrested, and the chargesheet dated 30.03.2025 had been filed before the Hon'ble Court.

Copies of the FIR dated 07.01.2025 and Chargesheet dated 30.03.2025 are annexed herewith and collectively marked as *Annexure-5*.

10. That, it is most humbly submitted that in the Varanasi Commissionerate, all police stations are maintaining continuous vigilance against sellers, users,



1.11/25

and stockists of prohibited Chinese manjha. Regular monitoring and raids are being conducted at suspected locations, and all efforts are being made to curb its sale, storage, and use, in respectful compliance with the directions of the Hon'ble National Green Tribunal.

11.Hence, this reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

12.That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Varanasi on this 19 day of November 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT



गपथपत्र/एकराजनामा प्रस्तुत दिनांक.....
Oathed by Deponent before Date... 19/11/25
प्रस्तुति द्वारा अधिवक्ता.....
Identified by Advocate... Kan
19/11/25
वीके० श्रीवास्तव, एड०, नोटरी, भारत सरकार
V.K.Srivastava, Adv. Notary, Govt of India
रजि० नं०-4581



कार्यालय पुलिस आयुक्त, वाराणसी

THE OFFICE OF COMMISSIONER OF POLICE VARANASI

संख्या: सीए/सीपी-58/2025


दिनांक: 22/09/2025

श्री सोमवीर सिंह सिरोही,
सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात-प्रथम,
कमिश्नरेट वाराणसी।

कृपया श्री राकेश कुमार मालपाणी, गृह (पुलिस) अनुभाग-11, उत्तर प्रदेश, शासन के पत्र संख्या: I/1095464/2025 दिनांक: 19.09.2025 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या: 179/2025 श्यामलता बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक: 02.09.2025 के प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक: 26.11.2025 को नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष उपस्थित होने हेतु प्रकरण से भिन्न किसी राजपत्रित अधिकारी को नामित करते हुए निर्देशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- अतः उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक: 26.11.2025 को नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष उपस्थित होने हेतु आपको नामित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों/वांछित सूचनाओं के साथ ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि


22/09/2025
(मोहित अग्रवाल)
पुलिस आयुक्त
वाराणसी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय), कमिश्नरेट वाराणसी।
- 2- अपर पुलिस आयुक्त (अपराध), कमिश्नरेट वाराणसी।
- 3- पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात, कमिश्नरेट वाराणसी।



कार्यालय पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
THE OFFICE OF COMMISSIONER OF POLICE VARANASI

संख्या: सीए/सीपी-69/2025


दिनांक: जनवरी 06, 2025

संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध),
अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था),
पुलिस उपायुक्त काशी/वरुणा/गोमती,
अपर पुलिस उपायुक्त काशी/वरुणा/गोमती,
कमिश्नरेंट वाराणसी।

कृपया इस कार्यालय के माध्यम से विभिन्न तिथियों में निर्गत आदेश/पत्र के अनुपालन में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में आज सायंकाल 06.30 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा कैम्प कार्यालय पर निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी:-

1. सी0सी0टी0वी0 लगवाये जाने की प्रगति।
2. लाउडस्पीकर हटवाये जाने के सम्बन्ध में।
3. रात्रि गश्त/पिकेट ड्यूटी की राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चेकिंग।
4. Top-10 अपराधी।
5. ऑपरेशन चक्रव्यूह।
6. Manpower audit.
7. मेरे स्तर से गठित सभी SITs पर वार्ता।
8. प्रतिबंधित चाईनीज मांझा की बिक्री/भण्डारण/प्रयोग/रोक पर हुई कार्यवाही।
9. निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा (HS/गुण्डा/गैंगेस्टर/NSA/सम्पत्ती जब्तीकरण)
10. माफियाओं पर कार्यवाही।
11. स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन (जनपद के भीतर)

अतएव आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त गोष्ठी में पूरी तैयारी करके वांछित सूचना/प्रगति के साथ समय से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।


(मोहित अग्रवाल)
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी




मा0 न्यायालय प्रकरण/अतिमहत्वपूर्ण

कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त यातायात कमिश्नरेट वाराणसी।
पत्र संख्या: रीडर/एसीपी(टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर,03,2025

समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष,
कमिश्नरेट, वाराणसी।

कृपया अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात कमिश्नरेट, वाराणसी के पत्र संख्या: रीडर/ एडीसीपी (टी)- 2025 दिनांक 09.10.2025 एवं पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, वाराणसी के पृष्ठांकित आदेश दिनांकरू 22.09.2025 एवं 29.09.2025 व श्री राकेश कुमार मालपाणी विशेष सचिव उ०प्र० शासन के पत्र संख्या: गृह (पुलिस) अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक: 19.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या: 179/2025 श्यामलाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक: 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भंडारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु पूर्व से ही निर्देशित किया गया है।


अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक: 01.01.2025 से अब तक चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भंडारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कृत कार्यवाही एवं कितने को मुआवजा धनराशि प्रदान की गयी है, का स्पष्ट विवरण आज दिनांक: 03.11.2025 को सायं तक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, चूंकि प्रकरण मा0 न्यायालय से सम्बन्धित है, जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।


सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात,
कमिश्नरेट, वाराणसी।

महोदय,

कृपया अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात कमिश्नरेट, वाराणसी के पत्र संख्या: रीडर/ एडीसीपी (टी)- 2025 दिनांक 09.10.2025 एवं पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, वाराणसी के पृष्ठांकित आदेश दिनांक: 22.09.2025 एवं 29.09.2025 व श्री राकेश कुमार मालपाणी विशेष सचिव उ०प्र० शासन के पत्र संख्या: गृह (पुलिस) अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक: 19.09.2025 के द्वारा नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या: 179/2025 श्यामलाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक: 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भंडारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु पूर्व से ही निर्देशित किया गया है, के क्रम में श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट, वाराणसी के पत्र संख्या:रीडर/एसीपी (टी) -106/2025 दिनांक:03.11.2025 के परिप्रेक्ष्य में कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त थानो द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रतिबन्धित चीनी मांझा बेचने /भण्डारण करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही/बरामदगी का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	थाना का नाम	कुल मुकदमा	मुकदमा अपराध संख्या	धारा	बरामद प्रतिबन्धित मांझा	अभियुक्त की संख्या
1	चेतगंज	02	02/2025 20/2025	285/109/105 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण अधिनियम	100 किग्रा	03
2	मिर्जामुराद	01	01/2025	223/293/125 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण अधिनियम	24बण्डल	02
3	कोतवाली	01	07/2025	"	06 किग्रा	01
4	लक्सा	01	01/2025	"	18 किग्रा	01
5	सिन्धौरा	01	11/2025	"	-	01
6	चौक	03	01/2025 07/2025 09/2025	"	845 किग्रा	05
7	चौबेपुर	01	10/2025	"	3.5 किग्रा	01
8	मण्डवाडीह	03	02/2025 03/2025 16/2025	"	120 किग्रा	03
9	सारनाथ	01	04/2025	"	34 किग्रा	01
10	सिगरा	01	06/2025	"	14946 किग्रा	04
11	रामनगर	03	04/2025 05/2025 07/2025	"	37 किग्रा	03
12	कैण्ट	01	12/2025	"	06 किग्रा	01
13	जैतपुरा	01	04/2025	"	13 किग्रा	01
14	भेलूपुर	02	12/2025 14/2025	"	26 किग्रा	02
15	रोहनिया	01	09/2025	"	28 किग्रा	01
16	आदमपुर	01	05/2025	"	29 किग्रा	01
17	लोहता	-	-	-	-	-



18	कपसेठी	—	—	—	—	—
19	फूलपूर	—	—	—	—	—
20	जन्सा	—	—	—	—	—
21	लालपुर पाण्डेयपुर	—	—	—	—	—
22	लंका	—	—	—	—	—
23	दशाश्वमेध	—	—	—	—	—
24	राजातालाब	—	—	—	—	—
25	चितईपुर	—	—	—	—	—
26	चोलापुर	—	—	—	—	—
27	बड़ागाँव	—	—	—	—	—
28	शिवपुर	—	—	—	—	—
	कुल	24	—	—	16,235 / किग्रा	31 अभियुक्त

संलग्नक: यथोपरि।

नोट:— वाराणसी के दो थानें महिला थाना व पर्यटक थाना का क्षेत्राधिकार उक्त प्रकरण से सम्बन्धित नहीं है।



रिपोर्ट थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी

सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,

महोदय, कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या:रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनिथन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त विषयक थाना स्थानीय पर दिनांक-07.01.2025 को वादी श्री सुजीत कुमार पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद जायसवाल निवासी मवैया खुर्द थाना मुगलसराय अलीनगर जनपद चन्दौली मो.न. 9004901025 की लिखित तहरीर के आधार पर बाबत् अभियुक्तगण 1-आजम पुत्र असलम निवासी सी 14/98 ए-1 लल्लापुरा थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी, 2-जितेन्द्र कुशवाहा पुत्र राधेश्याम कुशवाहा निवासी सी 33/204-21 क छित्तपुरा हरिनगर कालोनी थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी व 3- कुन्दन कुशवाहा पुत्र राधेश्याम कुशवाहा निवासी सी 33/204-21 छित्तपुरा हरिनगर कालोनी थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जानबुझकर प्रतिबन्धित चायनीज मांझा बेचने, जिसका लोगों द्वारा प्रयोग से वादी की गले में गंभीर चोटे आने तथा गले में फँस जाने से एक व्यक्ति विवेक शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी ए 38/42 सी-1ए कोनिया धोबी घाट थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी उम्र -करीब 25 वर्ष की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में मु.अ.सं. 002/2025 धारा 285/109/105 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पंजीकृत कराया गया। उक्त विवेचना में अग्रिम कार्यवाही करते हुए थाना सिगरा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 06/25 धारा 125,223,293 बी0एन0एस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाम अभियुक्तगण आजम, जितेन्द्र कुशवाहा व कुन्दन कुशवाहा उपरोक्त में प्रतिबन्धित अवैध चाइनीज मांझा वजन 14946 किलोग्राम बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण आजम, जितेन्द्र कुशवाहा व कुन्दन कुशवाहा उपरोक्त को दिनांक-09.01.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए दिनांक-30.03.2025 को अभियुक्तगण आजम, जितेन्द्र कुशवाहा व कुन्दन कुशवाहा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 285/109(1)/105 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आरोप पत्र किता कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। इसी क्रम में कार्यवाही करते हुए दिनांक-14.01.2025 को अभियुक्तगण 1-महेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता व 2-संदीप कुमार गुप्ता पुत्र महेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासीगण एस 13/10 तेलियाबाग थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी के कब्जे से प्रतिबन्धित मेसीन चायनीज मांझा, नायलॉन की डोरियां व 6 खुला हुआ व 1 सिल्ड पैक हीरो ब्राण्ड कुल वजन लगभग 100 किग्रा बरामद होने पर मु.अ.सं. 20/2025 धारा 125,223 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रतर कार्यवाही करते हुए दिनांक-02.04.2025 को अन्तर्गत धारा 125,223 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। जो विचाराधीन न्यायालय है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।



प्रभारी निरीक्षक

थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी

सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,

यातायात कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या:रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त विषयक थाना स्थानीय पर दिनांक-01.01.2025 को वादी उ0नि0 रोहित दुबे थाना मिर्जामुराद कमि0 वाराणसी की लिखित तहरीर के आधार पर बाबत् अभियुक्तगण 1. पिन्टू गुप्ता उर्फ राजकुमार पुत्र विस्तो साव उर्फ बिष्णु गुप्ता उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम गौर थाना मिर्जामुराद वाराणसी 2. शेखर उर्फ गोलू बिन्द पुत्र पप्पू बिन्द उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम गौर बंगला थाना मिर्जामुराद के कब्जे से बरामद शुदा माल 9 बंडल व खुला 15 बंडल प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा प्रतिबन्धित चाइनीज मांझा के आधार पर पंजीकृत मु.अ.सं. 001/25 धारा 223, 293, 125 बी0एन0एस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजी कृत किया गया उपरोक्त को दिनांक-01.01.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुए दिनांक-17.01.2025 को अभियुक्तगण पिन्टू व शेखर उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 223, 293, 125 बी0एन0एस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में आरोप पत्र कित्ता कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। जो विचाराधीन न्यायालय है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

Si

89

04/11/2025

Pm/21/11/25

प्रभारी निरीक्षक

थाना मिर्जामुराद, कमिश्नरेट वाराणसी



219

सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त न्यायालय
महोदय कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या:रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी माँझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त विषयक थाना स्थानीय पर वादी उ0नि0 शिवस्वरूप पाण्डेय चौकी प्रभारी सप्तसागर थाना कोतवाली के प्राप्त तहरीर के आधार पर बाबत् अभियुक्त नाम मो0 जाहिद पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी सीके 40/58 घुंघरानी गली थाना चौक वाराणसी उम्र 24 वर्ष द्वारा प्रतिबन्धित चायनीज माँझा बेचने के सम्बन्ध में मु.अ.सं. 007/2025 धारा 125, 223, 293 बीएनएस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पंजीकृत कराया गया। थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी के कब्जे से प्रतिबन्धित चायनीज माँझा कुल वजन लगभग 06 कि0 78 ग्राम बरामद तथा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। जो विचाराधीन न्यायालय है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।



प्रभारी निरीक्षक
 थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी

सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
पिण्डरा, कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या:रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त विषयक थाना स्थानीय पर वादी उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति चौकी प्रभारी सिन्धोरा थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी के लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त शिवम मौर्या पुत्र गणेश मौर्या निवासी ग्राम सिन्धोरा थाना सिन्धोरा कमि0 वाराणसी के कब्जे से प्रतिबन्धित चायनीज मांझा विक्रय करते हुए पाये जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 011/2025 धारा 125, 223, 293 बीएनएस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पंजीकृत कराया गया। बाद विवेचना अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। जो विचाराधीन न्यायालय है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।



सेवा मे,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय, यातायात
कमिश्नरेट वाराणसी।

विषय - नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है, जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि थाना स्थानीय पर 1-मु0अ0सं0 10/2025 धारा 125/223/283 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाम अरविन्द गुप्ता पुत्र गुलाब गुप्ता नि0 मगरहुँआ थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र 36 वर्ष के विरुद्ध दिनांक 03.01.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसमें प्रतिबन्धित चायनीज मांझा 3.370 किलोग्राम बरामद किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री शिवप्रकाश वर्मा के द्वारा सम्पादित की गयी जिनके द्वारा दिनांक 06.01.2025 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा समस्त चौकी प्रभारी को प्रतिबन्धित मांझे के उपयोग एवं बिक्रय किये जाने के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित निर्देश दिये गये है व मेरे द्वारा भी थाना क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

[Handwritten Signature]
31/11/25

प्रभारी निरीक्षक

थाना चौबेपुर वाराणसी




सेवा मे,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
यातायात कमिश्नरेट वाराणसी ।

विषय- नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है- महोदय,

सादर अवगत कराना है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि थाना स्थानीय पर 1-मु0अ0सं0 02/2025 धारा 293/125/223 बीएनएस व 5,15 पर्यावरण संरक्षण अधिनयम बनाम अनिल कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 सोहन नि0 डी 65/375 बौलिया लहतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 03.01.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसमें प्रतिबन्धित चायनीज मांझा 59.020 किलोग्राम बरामद किया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री चन्द्रकान्त गौतम के द्वारा सम्पादित की गयी जिनके द्वारा दिनांक 07.02.2025 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया । 2- मु0अ0सं0 03/2025 धारा 293/125/223 बीएनएस व 5,15 पर्यावरण संरक्षण अधिनयम बनाम मनिल गुप्ता पुत्र स्व0 सोहन नि0 डी 65/375 बौलिया लहतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 03.01.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसमें प्रतिबन्धित चायनीज मांझा 31.680 किलोग्राम बरामद किया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर यादव के द्वारा सम्पादित की गयी जिनके द्वारा दिनांक 05.02.2025 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया । 3- मु0अ0सं0 16/2025 धारा 293/125/223 बीएनएस व 5,15 पर्यावरण संरक्षण अधिनयम बनाम जियालाल निषाद पुत्र स्व0 गांगाराम निषाद नि0 त्रिदेवी कॉलोनी सुप्रीम पब्लिक चाँदपुर के पास थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 11.01.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसमें प्रतिबन्धित चायनीज मांझा 29 किलो 250 ग्राम बरामद किया गया। जिसकी विवेचना म0उ0नि0 नेहा परवीन के द्वारा सम्पादित की गयी जिनके द्वारा दिनांक 07.02.2025 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा समस्त चौकी प्रभारी को प्रतिबन्धित मांझे के उपयोग एवं बिक्रय किये जाने के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित निर्देश दिये गये है व मेरे द्वारा भी थाना क्षेत्र सतर्क दृष्टि रखी जा रहा है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।


प्रभारी निरीक्षक

थाना मण्डुवाडीह
कमिश्नरेट वाराणसी ।



सेवा मे,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
पातायात कमिश्नरेट वाराणसी।

विषय- नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांडो को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांडो को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि थाना स्थानीय पर दिनांक-04.01.2025 को मु0अ0स0-0006/2025 धारा 125,223,293 बी0एन0एस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाम 1-जितेन्द्र कुशवाहा पुत्र राधेश्याम कुशवाहा निवासी सी-33/204,31-K-1 हरिनगर कालोनी थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र 31 वर्ष 2- कुन्दन कुशवाहा पुत्र राधेश्याम कुशवाहा निवासी सी-33/204,31-K-1 हरिनगर कालोनी थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र 23 वर्ष 3- मो0आजम पुत्र हाजी मुहम्मद असलम निवासी सी 14/98-A-1 लल्लापुरा माताकुण्ड थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र 28 वर्ष 4- अफजल पुत्र हाजी मुहम्मद असलम निवासी सी 14/98-A-1 लल्लापुरा माताकुण्ड थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र 33 वर्ष के विरुद्ध के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसमे प्रतिबन्धित अवैध चाइनीज मांडा वजन 14946 किलोग्राम बरामद किया गया उक्त मुकदमे की विवेचना उ0नि0 श्री सलमान खान द्वारा सम्पादित किया गया विवेचक द्वारा बाद विवेचना दिनांक 04.02.2025 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो विचाराधीन है। तथा समस्त चौकी प्रभारी को प्रतिबन्धित मांडो के उपयोग एवं विक्रय किये जाने के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित निर्देश दिये गये है व मेरे द्वारा भी थाना क्षेत्र सतर्क दृष्टि रखी जा रहा है।

रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है।



सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,

कोतवाली, कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या:रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का सदर्थ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एव अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी माझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त विषयक थाना स्थानीय पर मा0 न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 173(4) दिनांक 14.06.2025 को वादी रशीद अहमद उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 वशीर अहमद निवासी प्यारे पुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ मो0न0 7275814129 के प्राप्ति तहरीर के आधार पर बाबत अभियुक्त नाम पता अज्ञात द्वारा प्रतिबन्धित चायनीज मॉड्रा द्वारा प्रयोग से वादी के पुत्र के गले में गनीर चोटे आने तथा गले में फेंस जाने से मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में मु.अ.स. 0120/2025 धारा 106 बीएनएस0 पजीकृत कराया गया उक्त अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। इसी क्रम में कार्यवाही करते हुए दिनांक-03.01.2025 को अभियुक्तगण 1-अभिषेक गुप्ता पुत्र मनोज कुमार गुप्ता निवासी कबीरपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली 2- रोहित गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता निवासी 1/381 साहित्यनाका थाना रामनगर कमि0 वाराणसी 3- अनुज कुमार सिंह पुत्र रविशंकर मोर्य निवासी मच्छरहट्टा थाना रामनगर कमि0 वाराणसी के कब्जे से प्रतिबन्धित चायनीज मॉड्रा कुल वजन लगभग 37 कि0 500 ग्राम बरामद होने पर मु.अ.स. 0004/2025, 0005/2025 तथा 0007/2025 धारा 125, 223, 293 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रतर कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। जो विचाराधीन न्यायालय है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।



[Signature]
21/11/25
प्रभारी निरीक्षक

थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी

सेवा में,

225


श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या:रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त विषयक थाना स्थानीय पर 30नि0 श्री विकास सिंह चौकी प्रभारी नदेसर थाना कैण्ट कमि0 वाराणसी के द्वारा दिनांक 03.01.2025 को बाबत अवैध प्रतिबन्धित चाईनीज माँझा वजन 06.300 कि0ग्रा0 बरामद होने के सम्बन्ध में बनाम 1. कृष्णानन्द गुप्ता पुत्र रामप्यारे गुप्ता निवासी एस 15/19 घौसाबाद नदेसर वाराणसी उम्र करीब 50 वर्ष के विरुद्ध मु0अ0सं0- 012/2025 धारा 293,125,223 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रतर कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।


4/11/25
प्रभारी निरोक्षक

थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी



सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय
सर्किल चेतगंज, कमिश्नरेट वाराणसी
महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या:रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। श्रीमान् जी उपरोक्त विषयक थाना स्थानीय पर उ0नि0 श्री सत्यदेव चौकी प्रभारी चौकाघाट थाना जैतपुरा कमि० वाराणसी के द्वारा दिनांक 03.01.2025 को बाबत अवैध प्रतिबन्धित चाईनीज माँझा वजन 13.150 कि० ग्रा० बरामद होने के सम्बन्ध में बनाम दिलीप कुमार उर्फ दीपक कुमार पुत्र बच्चे लाल निवासी एस 23/35-एच-1 डेलवरिया चौकाघाट थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी के विरुद्ध मु0अ0सं0-04/2025 धारा 293,125,223 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही करते हुए दिनांक 03.02.2025 आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

SP
04/11/2025
थानाध्यक्ष

थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी



सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
सर्किल भेलपुर, कमिश्नरेट वाराणसी।

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या: रीडर एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिसिपल बेच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त विषयक थाना स्थानीय पर दिनांक 11.01.2025 को अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ विनोद कुमार निवासी रमेश प्रसीद निवासी एन 14/32, सरायनन्दन दशमी खोजवां थाना भेलपुर कमिश्नरेट वाराणसी के कब्जे से प्रतिबन्धित मेसीन चायनीज माँझा कुल 4.750 किग्रा बरामद होने पर मु.अ.सं. 12/2025 धारा 125,293 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही करते हुए दिनांक 17.01.2025 को अन्तर्गत धारा 125,293 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। तथा दिनांक 12.01.2025 को अभियुक्त जहांगीर खान पुत्र स्व0 अतहर खान निवासी ग्राम ककरमत्ता साउथ थाना मडुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी के कब्जे से प्रतिबन्धित मेसी चायनिज माँझा कुल 21.5 कि0ग्रा0 बरामद होने पर मु.अ.सं. 014/2025 धारा 293/125/223 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही करते हुए दिनांक 17.01.2025 को अन्तर्गत धारा 293/125/223 BNS व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। जो विचाराधीन न्यायालय है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।



प्रभाषी निरीक्षक 4/11/2025

थाना भेलपुर कमि0 वाराणसी

रिपोर्ट थाना रोहनियां कमिश्नरेट वाराणसी।

सेवा मे,


श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
यातायात कमिश्नरेट वाराणसी।

विषय- नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक समाह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक समाह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि थाना स्थानीय पर 1-मु0अ0सं0 09/2025 धारा 293/125/223 बी0एन0एस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाम सुनीता पत्नी स्व0 रमाशंकर गुप्ता निवासनी ग्राम खनांव थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 06.01.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसमें 84 अदद घिरी व 28.500 किग्रा0 प्रतिबन्धित चायनीज मांझा बरामद किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अमित सिंह के द्वारा सम्पादित की गयी जिनके द्वारा दिनांक 12.01.2025 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तथा समस्त चौकी प्रभारी को प्रतिबन्धित मांझे के उपयोग एवं बिक्रय किये जाने के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित निर्देश दिये गये है व मेरे द्वारा भी थाना क्षेत्र सतर्क दृष्टि रखी जा रहा है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।


प्रभारी निरीक्षक

थाना रोहनियां

कमिश्नरेट वाराणसी।



सेवा में,


श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
कोतवाली, कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या:रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी माझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त विषयक थाना स्थानीय पर वादी उ0नि0 विकास कुमार मिश्रा तत्कालीन चौकी प्रभारी मच्छोदरी थाना आदमपुर कमि0 वाराणसी के प्राप्त तहरीर के आधार पर बाबत अभियुक्त नाम मो0 जफर पुत्र मो0 मुस्तफा निवासी के0 49/43 अम्बिया मंडी थाना कोतवाली कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा प्रतिबन्धित चायनीज मॉड्रा थाना स्थानीय स्थित सलेमपुरा में बेचे जाने के सम्बन्ध में मु.अ.सं. 005/2025 धारा 125, 223, 293 बीएनएस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पजीकृत कराया गया। थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी के कब्जे से प्रतिबन्धित चायनीज मॉड्रा कुल वजन लगभग 29 कि0ग्रा0 बरामद तथा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र दिनांक 24.04.2025 माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। जो विचाराधीन न्यायालय है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।


24/11/25

प्रभारी निरीक्षक

थाना उमरपुर कमिश्नरेट वाराणसी

मेडा पे

श्रीमान साहायक पुलिस आधुनिक महोदय
पालापाल - कमिश्नरेट कारागारी

विषय- देशगत प्रीम टिब्यूनल प्रिजिडल बेच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 स्वयं ताल बन्धन यूनिफर्म और इन्डिया एवं अन्य में पार्जिट आदेश में जवाब दायित्व करने हेतु दिनांक 26.11.2025 में एक खात पूर्व का म और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने एवं आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है.

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि देशगत प्रीम टिब्यूनल प्रिजिडल बेच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 स्वयं ताल बन्धन यूनिफर्म और इन्डिया एवं अन्य में पार्जिट आदेश में जवाब दायित्व करने हेतु दिनांक 26.11.2025 में एक खात पूर्व का म और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित बांझिल सूचना प्रारूपानुसार निम्नवत् है एवं याना स्थानीय के सम्बन्धित चौकी प्रभारिण एवं हल्का प्रभारिण को प्रतिबन्धित मात्रे के उपयोग एवं निम्नलिखित निर्देश दिये गये है व मेरे द्वारा भी याना क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखी जा रहा है।

प्रारूप							
प्रदेश में सिन्थेटिक माइक्रो, त्वोरा सेमित, नायलोन पतंग डोरो एवं चाइनिज माइक्रो के निर्माण, प्रचाराण, उपयोग एवं बिक्री पर रोक लगाने एवं प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में विचार							
क्र.सं	जोन	कमिश्नरी / जनपद	थाना	घरायदगी का विवरण मात्रा/ अनुमानित मूल्य	चाइनीज माइक्रो उपयोग के विरुद्ध घरायदगी आदि के सम्बन्ध में पंजीकृत अधिवोग का विवरण मु.अ.सं. द्वारा		
					मु.अ.सं.	धारा	बन्धन
1	बागरी	कमिश्नरी बाराणसी	चौक	545.5 किग्राम चाइनीज माइक्रो	0001/2025	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986-15, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986-5, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023-125, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023-223, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023-293	आरिफ अहमद s/o हबीब अहमद निवासी- Ck: 43/58 गोबिन्दपुरा थाना चौक बागपत्ती
2				64.5 किग्राम चाइनीज माइक्रो	0007/2025	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986-15, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986-5, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023-125, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023-223, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023-293	1. सुजीत कुमार शंकास्तव s/o स.व. रोहनलाल निवासी- सोके 60/64 कांफेपटा थाना चौक बागपत्ती 2. श्री बसंत, अनिल श्रीवास्तव s/o स.व. रोहनलाल शंकास्तव निवासी- सोके 60/64 कांफेपटा थाना चौक बागपत्ती
3				234.1 किग्राम चाइनीज माइक्रो	0009/2025	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986-15, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986-5, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023-125, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023-223, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023-293	1. शाहनवाज खान s/o मोहम्मद जिलसरी खान निवासी- Ck: 40/61 A पुषपार गली दालपन्दी थाना चौक बागपत्ती, 2. हरीशंकर प्रतापति s/o स.व. म.पू. उप प्रजापति निवासी- सोके 39/27 कुंजीगल रोता थाना चौक बागपत्ती

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है.

231

रिपोर्ट थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

सेवा में,


श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त ,
सर्किल सारनाथ-कमिश्नरेट वाराणसी।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि पत्र संख्या रीडर/अ0पु0आ0(का0-व्य0 एवं मुख्या0)/2025 16/24 दिनांक अक्टूबर 28, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करे जिसके माध्यम से सिंथेटिक माझा/सीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे से हुई घटित घटनाओं का विवरण दिनांक 25.03.2022 से अबतक कितने लोग घायल हे है . घायल हुए लोगो में कितने लोगो की मृत्यु हो गयी है , के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 004/2025 धारा 223,293,125, व 5/125 बीएनएस व पर्यावरण संक्षरण अधिनियम में दिनांक 02.01.2025 को पंजीकृत किया गया जिसमें अभियुक्तगण के पास से अवैध प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जिसका वजन 34.70 किग्रा बरामद किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में किसी भी व्यक्ति घायल/मृत होना नहीं पाया गया है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।




थानाध्यक्ष
थाना सारनाथ
कमिश्नरेट वाराणसी

सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
यातायात कमिश्नरेट वाराणसी।

विषय- नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय स्थित है। जिसमें चीनी मांझो को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित वांछित सूचना के सम्बन्ध में वर्ष 2025 में थाना स्थानीय पर-मु०अ०सं० 01/2025 धारा-293/125/223 बी०एन०एस० व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाम विनोद गुप्ता पुत्र स्व० लालजी गुप्ता निवासी डी 55/6 औरंगाबाद थाना लक्सा कमि० वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 04.01.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया जिसमें अभियुक्त की दुकान से कुल 18.500 किग्रा) प्रतिबन्धित चायनीज मांझा बरामद किया गया। जिसकी विवेचना उ०नि० श्री अभिषेक पाण्डेय के द्वारा सम्पादित की गयी जिनके द्वारा दिनांक 17.01.2025 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। तथा थाना स्थानीय के चौकी प्रभारी एवं हल्का प्रभारी को प्रतिबंधित मांझे के उपयोग एवं विक्रय किये जाने के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित निर्देश दिये गये है व मेरे द्वारा भी थाना क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखी जा रहा है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

(Handwritten Signature)
3.11.25

(Handwritten Signature)
थानाध्यक्ष

थाना लक्सा कमि० वाराणसी



सेवा मे,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
यातायात कमिश्नरेट वाराणसी।

विषय- नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है- महोदय,

सादर अवगत कराना है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समस्त चौकी प्रभारी के साथ एक गोष्ठी आयोजित कर प्रतिबंधित मांझे के उपयोग एवं विक्रय किये जाने के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित निर्देश दिये गये है व मेरे द्वारा भी थाना क्षेत्र सतर्क दृष्टि रखी जा रहा है।

सूचना सादर सेवा में प्रेषित है।

King
03/11/25

प्रभारी निरीक्षक
थाना लोहता
कमिश्नरेट वाराणसी।



सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,

यातायात कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या:रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03,2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त के सम्बन्ध सादर अवगत कराना है कि थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत कहीं पर भी चाईनीज मांझे का भण्डारण व परिवहन नहीं किया जाता है न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत है, सभी अधि०/कर्म० गण की गोष्ठी कर निर्देशित किया गया है, सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में लगातार चेकिंग करते हुए उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कर मेरे स्वयं द्वारा भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।


सधुननराम गोतम 11/11/25
प्रभारी निरीक्षक
थाना-कपसेठी
कमिश्नरेट, वाराणसी



प्रभारी निरीक्षक
थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी

रिपोर्ट थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
यातायात कमिश्नरेट वाराणसी।

विषय- नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय स्थित है। जिसमें चीनी मांज्रो को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित वांछित सूचना के सम्बन्ध में वर्ष 2025 में थाना स्थानीय से शून्य है , किन्तु थाना स्थानीय के चौकी प्रभारी एवं हल्का प्रभारी को प्रतिबंधित मांझे के उपयोग एवं विक्रय किये जाने के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित निर्देश दिये गये है व मेरे द्वारा भी थाना क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखी जा रहा है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

प्रभारी निरीक्षक फूलपुर
कमिश्नरेट वाराणसी



सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
राजातालाब, कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या:रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03,2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त के सम्बन्ध सादर अवगत कराना है कि थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत कही पर भी चाईनीज मांझे का भण्डारण व परिवहन नहीं किया जाता है न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत है, सभी अधि०/कर्म० गण की गोष्ठी कर निर्देशित किया गया है, सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में लगातार चेकिंग करते हुए उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कर मेरे स्वयं द्वारा भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।



[Handwritten Signature]
04/11/25

प्रभारी निरीक्षक

थाना जन्सा कमिश्नरेट वाराणसी

सेवा में

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त
यातायात कमिश्नरेट वाराणसी।

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या: सीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त के सम्बन्ध सादर अवगत कराना है कि थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत कही पर भी चाईनीज मांझे का भण्डारण व परिवहन नहीं किया जाता है न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत है, सभी अधि०/कर्म० गण की गोष्ठी कर निर्देशित किया गया है, सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में लगातार चेकिंग करते हुए उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कर मेरे स्वयं द्वारा भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

05-11-25



प्रभारी निरीक्षक
थाना लालपुर पाण्डेयपुर
कमि० वाराणसी

सेवा में,


श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
दशाक्षमेघ, कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या:रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिबूनल प्रिंसिपल बेघ, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनिघन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी माझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त विषयक थाना स्थानीय पर वर्ष 2025 में चीनी माझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना मिल है। यदि ऐसा प्रकरण प्रकाश में आता है आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।


थानाध्यक्ष

थाना दशाक्षमेघ कमिश्नरेट वाराणसी



सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,

राजातालाब, कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या:रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03,2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त के सम्बन्ध सादर अवगत कराना है कि थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत कही पर भी चाईनीज मांझे का भण्डारण व परिवहन नहीं किया जाता है न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत है, सभी अधि०/कर्म० गण की गोष्ठी कर निर्देशित किया गया है, सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में लगातार चेकिंग करते हुए उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कर मेरे स्वयं द्वारा भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।



प्रभारी निरीक्षक

थाना राजातालाब
कमिश्नरेट वाराणसी

सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
भेलपुर, कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या: रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का सदर्थ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी माझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त के सम्बन्ध सादर अवगत कराना है कि थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत कही पर भी चाईनीज माझे का भण्डारण व परिवहन नहीं किया जाता है न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत है, सभी अधि०/कर्म० गण की गोष्ठी कर निर्देशित किया गया है, सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में लगातार चेकिंग करते हुए उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कर मेरे स्वयं द्वारा भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

4/11/2025, 11:19



सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,

भेलूपुर, कमिश्नरेट वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या रीडर एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त विषयक थाना स्थानीय पर वर्ष 2025 में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है अतः सूचना शून्य है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

04/11/25
प्रभारी निरीक्षक

थाना -चितईपुर कमि0 वाराणसी।



242

सेवा में,


श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त यातायात
कमि०-वाराणसी।

महोदय,

कृपया श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त यातायात कमि०-वाराणसी महोदय के पत्र संख्या: रीडर/एसपी(टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंशिपल बेंच, नई दिल्ली में आयोजित ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या: 179/2025 श्यामलाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जवाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.10.2025 से 01 सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान जी उपरोक्त विषयक थाना स्थानीय से अवगत कराना है कि दिनांक: 01.01.2025 से 04.11.2025 तक थाना स्थानीय पर उक्त के सम्बन्ध में सूचना शून्य है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।


04.11.25

प्रमारी निरीक्षक
थाना चोलापुर कमि०-वाराणसी।



243

रिपोर्ट - थाना बडागाँव कमि० वाराणसी

सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय
सर्किल पिण्डरा कमि० वाराणसी

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या: रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिनांक: नवम्बर 03, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सप्ताह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। श्रीमान् जी उपरोक्त के सम्बन्ध सादर अवगत कराना है कि थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत कही पर भी चाईनीज मांझे का भण्डारण व परिवहन नहीं किया जाता है न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत है, सभी अधि०/कर्म० गण की गोष्ठी कर निर्देशित किया गया है, सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में लगातार चेकिंग करते हुए उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कर मेरे स्वयं द्वारा भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।




प्रभारी निरीक्षक
थाना बडागाँव कमि० वाराणसी

रिपोर्ट थाना शिवपुर कमिश्नरेट - वाराणसी
सेवा में,

श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
सर्किल कैण्ट कमि0-वाराणसी.

महोदय,

कृपया श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पत्र संख्या: रीडर/एसपी (टी)-106/2025 दिर्शक नवम्बर 103,2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि नेशनल ग्रीन टिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 179/2025 श्याम लाल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश में जबाब दाखिल करने हेतु दिनांक 26.11.2025 से एक सत्राह पूर्व का समय नियत है। जिसमें चीनी मांझे को बेचने, बनाने, भण्डारण करने और परिवहन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा कृत कार्यवा की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

श्रीमान् जी उपरोक्त के सम्बन्ध सादर अवगत कराना है कि थाना स्थानीय क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2025 में कही पर भी चाईनीज मांझे का भण्डारण व परिवहन नहीं किया जा रहा है न ही उक्त के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत है, सभी अधि०/कर्म० गण की गोष्ठी कर निर्देशित किया गया है, सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में लगातार चेकिंग करते रहेगे। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कर मेरे स्वयं द्वारा भी सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

24/11/2025
प्रभारी निरीक्षक
थाना शिवपुर
कमिश्नरेट-वाराणसी



FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): काशी P.S. (थाना): चेतगंज Year (वर्ष): 2025
(कमिश्नरेट वाराणसी)

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक
और समय): 07/01/2025 16:32 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	15
2	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	5
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	105
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	110
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	285

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): हस्तक्षेप दिन Date from (दिनांक से): 29/12/2024 Date To (दिनांक तक): 31/12/2024

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 07/01/2025 Time (समय): 16:32 बजे

(c)

General Diary Reference
(रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि
सं.): 043

Date and Time
(दिनांक और
समय):
07/01/2025
16:32 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर - पश्चिम, 1.5 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): चौकाघाट,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुजीत कुमार

(b) Father's Name (पिताका नाम): स्व0 हनुमान प्रसाद जायसवाल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1998 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	मवैया खुर्द , मुगलसराय, अली नगर, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	मवैया खुर्द , मुगलसराय, अली नगर, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9004901025

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	आजम		पिता का नाम : असलम	1. लल्लापुरा,सिगरा,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत
2	जितेन्द्र कुशवाहा		पिता का नाम : राधेश्याम कुशवाहा	1. चंदुआपुर,चित्तपुर,सिगरा,का शी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत
3	कुदन कुशवाहा		पिता का नाम : राधेश्याम कुशवाहा	1. चंदुआपुर,चित्तपुर,सिगरा,का शी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत
4	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना चेतगंज कमिबाराणसी। महोदय, सादर अवगत कराना है, कि मैं प्रार्थी सुजीत कुमार पुत्र स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जायसवाल निवासी मवैया खुर्द मुगलसराय चंदौली दिनांक 29/12/2024 को अपने घर से लहरतारा की ओर जा रहा था चौकाघाट ओवर ब्रिज पर चढ़ने के बाद लगभग डेढ़ सौ मीटर आगे रास्ते पर उड़ रही एक पतंग जो चीनी मांझे के द्वारा बांधकर उड़ाई जा रही थी उसी चाइनीस मांझे में फंसकर मेरे गर्दन पर काफी गंभीर चोट आ गई मांझे द्वारा मेरी गर्दन कट गई और गहरा घाव आ गया तथा खून बहने लगा मैं वहीं पर अपनी गाड़ी के साथ गिर पड़ा इसके बाद मुझे आसपास के उपस्थित लोगों द्वारा अस्पताल ले जाया गया जहां पर मेरा इलाज हुआ इस तरह चाइनीस मांझे के बारे में पता करने पर जानकारी मिली की आजम पुत्र असलम निवासी लल्लापुरा थाना सिगरा वा इसके अन्य साथी, और जितेंद्र कुशवाहा व कुंदन कुशवाहा पुत्रगण राधेश्याम कुशवाहा निवासी चंदुआपूर चित्तपुर थाना सिगरा वाराणसी के द्वारा चाइनीस मांझा का विक्रय व भंडारण किया जा रहा है और इन्हीं के द्वारा चाइनीस मांझे का विक्रय वाराणसी में हो रहा है जिसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हुए हैं तथा दिनांक 31/12/24 को इन्हीं के द्वारा बेचे गए चाइनीस मांझे की चपेट में आकर एक लड़के विवेक शर्मा की मृत्यु भी हो गई है महोदय इन लोगों को पहले पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया था लेकिन यह लोग छूटने के बाद पुनः मांझे की बिक्री कर रहे हैं और आम जनमानस की जान के लिए खतरा बने हुए हैं महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त मांझा विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक : 07.01.2025 प्रार्थी हिन्दी हस्ताक्षर पठनीय सुजीत कुमार (सुजीत कुमार) 9004901025 नोट: मुझ हे0का0 पुनीत कुमार सिंह द्वारा कायमी व तहरीर अक्षरशः बोल-बोल कर सीसीटीएनएस पर टाईप करायी गयी है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SHUBHENDU DIKSHIT Rank (पद): उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक

No. (सं.): 192765790 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,
Police Station (थाना प्रभारी के
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): DILIP KUMAR
MISHRA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 092560068

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1997		-		चेचक: नहीं
2	पुरुष	1995		-		चेचक: नहीं
3	पुरुष	2002		-		चेचक: नहीं
4				-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoder ma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

FINAL FORM/ REPORT

अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 193 B.N.S.S.)

(धारा 193 बी एन एस एस के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : ACJM 05 VNS (के न्यायालय में)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** काशी (कमिश्नरेट वाराणसी)

P.S. (थाना): चेतगंज

Year(वर्ष): 2025

FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0002

Date(दिनांक): 07/01/2025

2. **Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.):** 013. **Date(दिनांक):** 30/03/2025

4. S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),	285
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),	105
3	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	5
4	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	15
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),	109(1)

5. **Type of Final Form/Report** आरोप पत्र
(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):6. **If FR Unoccurred**

(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. **If Charge sheet**

मूल

(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

8. Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम): SHUBHENDU DIKSHIT

Rank (पद): SI (Sub-Inspector) No. (सं.):192765790

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले का नाम):
सुजीत कुमार

(b) (ख) Father 's Name (पिता का नाम) : स्व0 हनुमान प्रसाद जायसवाल

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:

(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where recovered or seized	Disposal
(क्र. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted (आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्र.सं.): 1

(i) Name आजम

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): असलम

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1997

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	सी 14/98 ए-1 लल्लापुरा , सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	सी 14/98 ए-1 लल्लापुरा , सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि): 07/01/2025

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 30/03/2025

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	285
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	105
3	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	5
4	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	15
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	109(1)

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायालय द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :

S. No.(क्र.सं.): 2

(i) Name जितेन्द्र कुशवाहा

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): राधेश्याम कुशवाहा

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1994

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	सी 33/204-21 क छित्तपुरा , हरिनगर कालोनी , सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	सी 33/204-21 क छित्तपुरा , हरिनगर कालोनी , सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि): 07/01/2025

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 30/03/2025

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	285
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	105
3	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	5
4	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	15
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	109(1)

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायालय द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx) Crime evidence related with accused

(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :

S. No.(क्र.सं.): 3

(i) Name कुन्दन कुशवाहा

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): राधेश्याम कुशवाहा

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2002

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	सी 33/204-21 क छित्तपुरा , सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	सी 33/204-21 क छित्तपुरा , सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)

नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि): 07/01/2025

(xiii) Date of release on bail

(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court 30/03/2025

(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	285
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	105
3	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	5
4	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	15
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	109(1)

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
-----------------	------------------------------	--------------

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)
----------------	--------------------------------	----------------------------

(xvii) Previous convictions with case references

(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायालय द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx) Crime evidence related with accused
(अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य) :

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted (suspect)

(आरोप पत्र दाखिल न किए गए (संदिग्ध) अभियुक्तों का विवरण):

S. No. (क्र.सं.): 1

(i) Name अज्ञात
(नाम):

Whether verified नहीं
(क्या सत्यापित है?):

(ii) Father's/Husband's Name

(iii) Date/Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 0

(iv) Sex (लिंग):

(v) Nationality (राष्ट्रीयता):

(vi) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.
जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	
2	स्थायी पता	

Whether verified(क्या सत्यापित है?): नहीं

(xi) Suspicion approved नहीं
(संदेह अनुमोदित):(xii) Status of the accused (suspect) गिरफ्तार नहीं
(अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति):

(xiii) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

(xiv) Any Special remarks including reasons for not charge sheeting
(आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष
अभ्युक्ति): घटना में किसी अज्ञात के संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं पाये गये13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए
जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No	Name/ Mob No	Father's/ Husband's name	Date/ Year of birth	Occupat ion	Address	Type of evidence to be tendered
(क्र. सं.)	(नाम/ मो० नं०)	(पिता/पति का नाम)	(जन्म तिथि /वर्ष)	(व्यवसाय)	(पता)	(प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	सुजीत कुमार / 9004901025	पिता: हनुमान प्रसाद जायसवाल			वर्तमान पता: मवैया खुर्द मुगलसराय अली नगर ,अली नगर,चंदौली,उत्तर प्रदेश,भारत	प्राथमिकी साक्ष्य

				स्थायी पता: मवैया खुर्द मुगलसरायं अली नगर ,अली नगर,चंदौली,उत्तर प्रदेश,भारत	
2	हे0का0 पुनीत कुमार सिंह / 9140901856	:		वर्तमान पता: थाना चेतगंज , चेतगंज,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना चेतगंज , चेतगंज,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत	प्राथमिकी साक्ष्य
3	डा0 ए0के0 मणि / 8004643609	:		वर्तमान पता: मण्डलीय चिकित्सालय वाराणसी ,श्री शिव प्रसाद गुमा जिला ,कोतवाली, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मण्डलीय चिकित्सालय वाराणसी ,श्री शिव प्रसाद गुमा जिला ,कोतवाली, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत	विशेषज्ञ साक्ष्य
4	हे0का0 सुनील कुमार भारती / 1000000000	:		वर्तमान पता: थाना सिगरा , सिगरा,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना सिगरा , सिगरा,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत	प्राथमिकी साक्ष्य
5	श्यामलता / 7985223505	पत्नी: राजेश शर्मा		वर्तमान पता: ए 38/42 सी 1 ए कोनिया धोबीघाट ,आदमपुर, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ए 38/42 सी 1 ए कोनिया धोबीघाट ,आदमपुर, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
6	सोनम / 7985223505	पिता: राजेश शर्मा		वर्तमान पता: ए 38/42सी1ए कोनिया ,आदमपुर,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ए 38/42सी1ए कोनिया ,आदमपुर,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य

7	राजेश शर्मा / 7985223505	पिता: भगवान दास		वर्तमान पता: ए38/42सी1ए कोनिया ,आदमपुर,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ए38/42सी1ए कोनिया ,आदमपुर,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत	समर्थन साक्षी
8	रमेश कुमार / 8604208889	पिता: भगवान दास		वर्तमान पता: ए 38/42 सी 1 ए कोनिया ,आदमपुर,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ए 38/42 सी 1 ए कोनिया ,आदमपुर,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत	औपचारिक गवाह
9	सैफ अली निजाम / 7668149297	पिता: निजामुद्दीन		वर्तमान पता: सी 15/369 माताकुण्ड लल्लापुरा ,सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: सी 15/369 माताकुण्ड लल्लापुरा ,सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत	औपचारिक गवाह
10	सैफ अली / 7071195617	पिता: सिकन्दर		वर्तमान पता: सी 15/59 लल्लापुरा माताकुण्ड ,सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: सी 15/59 लल्लापुरा माताकुण्ड ,सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत	औपचारिक गवाह
11	उ0नि0 शुभेन्दु दीक्षित / 7607076878	:		वर्तमान पता: थाना चेतगंज , चेतगंज,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना चेतगंज , चेतगंज,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत	अनुसंधान साक्षी

14.If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken
u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के
अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी निवेदन है कि वादी मुकदमा सुजीत कुमार पुत्र स्व० हनुमान प्रसाद जायसवाल निवासी मवैयाखुर्द मुगलसराय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली द्वारा दिनांक 07/01/2025 को थाना स्थानीय पर दाखिला तहरीर के आधार पर मु०अ०स० 02/25 धारा 285, 110, 105 बीएनएस व 5/15 पर्या०सं० अधि० का बनाम आजम पुत्र असलम निवासी लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी व जितेन्द्र कुशवाहा व कुन्दन कुशवाहा पुत्रगण राधेश्याम कुशवाहा निवासी चंदुवा छित्तपुर थाना सिगरा कमि० वाराणसी के पंजीकृत होकर विवेचना मुझ उ०नि० को प्राप्त हुई। विवेचना के क्रम में वयान वादी बयान गवाहान निरीक्षण घटनास्थल तथा तमामी साक्ष्य संकलन के आधार पर जुर्म धारा 110 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 109(1) बीएनएस की बढोत्तरी कर विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में धारा 285, 109(1), 105 बीएनएस व 5/15 पर्या०सं०अधि० 1986 के अपराध का होना पाया गया। अभियुक्त गण 1. आजम पुत्र असलम निवासी सी 14/98 ए1 लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी उम्र 28 वर्ष 2. जितेन्द्र कुशवाहा पुत्र राधेश्याम कुशवाहा निवासी सी 33/204 21क चंदुवा छित्तपुर हरिनगर कालोनी थाना सिगरा कमि० वाराणसी उम्र 31 वर्ष 3. कुन्दन कुशवाहा पुत्र राधेश्याम कुशवाहा निवासी सी 33/204 21क चंदुवा छित्तपुर हरिनगर कालोनी थाना सिगरा कमि० वाराणसी उम्र 23 वर्ष के विरुद्ध जुर्म धारा 285, 109(1), 105 बीएनएस व 5/15 पर्या०सं०अधि० 1986 साबित हो रहा है जिसका चलान जरिए आरोप पत्र मा० न्यायालय किया जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति के बारे में नाम पता प्रकाश में ना आने के कारण उसकी नामजदगी गलत की गई है जिसका तस्करा थाना स्थानीय के रो०आम 073 दिनांक 29/03/2025 में अंकित है। अब इस अभियोग मे कोई कार्यवाही शेष नहीं है विवेचना जरिए आरोप पत्र समाप्त की जा रही है। श्रीमान जी से निवेदन है कि सबूत तलब कर गुण दोष के आधार पर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करे।

17. Refer Notice served हाँ
(जारी किए नोटिस):

Date(दिनांक):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18. Despatched on(प्रेषण की तिथि): 30/03/2025

19. No. of enclosures(संलग्नको की संख्या):

20. List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं। चाहे पकड़े गए हो या नहीं पकड़े गए हों):

21क. Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

21ख. The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

22क. Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम, पता और आयु) :

22ख. Mafarur accused name, address and age / मफरुर अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

23. Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not. (माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क. Date (दिनांक) :

25ख. Place (स्थान) :

25ग. Punishment (सज़ा) :

Forwarded by Officer in charge

(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name (नाम): DILIP KUMAR MISHRA**Rank (पद):** I (Inspector)**PNO/CUG No.** 092560068

पीएनओ/सीयूजी सं:

**Signature of Investigating Officer submitting
final report/charge sheet**(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच
अधिकारी के हस्ताक्षर)**Name (नाम):** SHUBHENDU DIKSHIT**Rank (पद):** SI (Sub-Inspector)**PNO/CUG No.** 192765790

पीएनओ/सीयूजी सं: